न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 64/2024(GCMS : 2024/64)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

मैसर्स डिप्टी सिंह ईंट उद्योग जरिये पार्टनर

1. **श्री अमृतपाल सिंह** पुत्र श्री डिप्टी सिंह
2. **श्री शिवराज सिंह** पुत्र श्री डिप्टी सिंह
3. **श्री सतनाम सिंह** पुत्र श्री डिप्टी सिंह
   मार्फत चक 12–ओ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर निवासी चक 46 एफ मोड़ा, पो.ऑ. वडिंगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **प्रेम कुमार** पुत्र श्री गुरदास राम निवासी मकान नं. 8 सी ब्लॉक, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **अश्वनी कुमार** पुत्र श्री लक्ष्मण राम निवासी 2/34 सिंधी कॉलोनी, नजदीक मॉडल टाउन, श्रीगंगानगर
6. **अशोक कुमार** पुत्र श्री गुरदास राम निवासी मकान नं. 10 सी ब्लॉक, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **ऋषि आहुजा** पुत्र श्री चिमन लाल आहुजा निवासी मकान नं. 8सी ब्लॉक, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
8. **श्री सुधीर धुरिया** पुत्र श्री जयराम निवासी मकान नं. 10 सी ब्लाक, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

23.04.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.04.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मै. डिप्टी सिंह ईंट उद्योग जरिये पोर्टनर अमृतपाल सिंह, शिवराज सिंह, सतनाम सिंह एवं जमानती प्रेम कुमार, अश्वनी कुमार, अशोक कुमार, ऋषि आहुजा एवं जमानती म[illegible]ला रानी का उत्तराधिकारी सुधीर धुरिया को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/- [illegible] ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.03.2009 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक [illegible]2023 को 22,32,620/- रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी अश्वनी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कुमार ने अपनी आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 448, वार्ड नं. 13, रड़ेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट, बिमला रानी की आवाासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 449, वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट, प्रेम कुमार की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 450 वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट एवं अशोक कुमार की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 463, वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मै. डिप्टी सिंह ईंट उद्योग जरिये पोर्टनर अमृतपाल सिंह, शिवराज सिंह, सतनाम सिंह एवं जमानती प्रेम कुमार, अश्वनी कुमार, अशोक कुमार, ऋषि आहुजा एवं जमानती मृतक बिमला रानी का उत्तराधिकारी सुधीर धुरिया को 15.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.03.2009 **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों अश्वनी कुमार, बिमला रानी, प्रेम कुमार एवं अशोक कुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी** सम्पत्ति क्रमशः **आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 448, वार्ड नं. 13, रड़ेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट, आवाासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 449, वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट, आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 450 वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट एवं आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 463, वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **09.08.2020 को अनर्जक** परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 27.12.2023 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.12.2023 को भिजवाये गये है,** जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के** परिणामस्वरूप **ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए** विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट **के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणियों अश्वनी कुमार, बिमला रानी, प्रेम कुमार एवं अशोक कुमार **की दृष्टि बंधक रखी गई** सम्पत्ति **आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 448, वार्ड नं. 13, रड़ेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट, आवाासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 449, वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट, आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 450 वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड़, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट एवं आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 463, वार्ड नं. 13, रडेवाला रोड, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1080 वर्गफुट,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 27.12.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 27.12.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण मै. डिप्टी सिंह ईंट उद्योग जरिये पोर्टनर अमृतपाल सिंह, शिवराज सिंह, सतनाम सिंह एवं जमानती प्रेम कुमार, अश्वनी कुमार, अशोक कुमार, [illegible] एवं जमानती मृतक बिमला रानी का उत्तराधिकारी सुधीर [illegible] डाक से दिनांक 28.12.2023 भिजवाये गये है, धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति** परिणामस्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है साथ ही प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इकॉनोमिक्स टाईम्स में दिनांक 10.01.2024 को प्रकाशन करवाया है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के **अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती** है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है, **परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस की रजिस्टर्ड डाक से तामील हो चुकी थी, इसिलए धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में करवाने की आवश्यकता नही थी।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि ऋणी अप्रार्थी जमानती मृतक बिमला रानी के उत्तराधिकारी के रूप में सुधीर धुरिया को पक्षकार बनाया गया है और जमानती मृतक बिमला की मृत्यु दिनांक का कहीं पर भी अंकन नही किया गया है, जिससे यह ज्ञात नही होता की अप्रार्थी जमानती बिमला रानी की मृत्यु कब हुई है और अप्रार्थी जमानती मृतक बिमला रानी के सुधीर धुरिया के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस है अथवा नही?, का कोई वारिसानाम पेश नहीं किया गया है।

हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 8 निम्नानुसार अवलोकनीय **है :**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

पुरूष की दशा में उत्तराधिकारी के [illegible] **नियम : निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु** पुरूष की सम्पत्ति इस [illegible] पर उपबन्धों **के अनुसार** निम्नलिखित को न्यागत होगी:
(क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

(ख) द्वितीयतः , यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विर्निदिष्ट सम्बन्धी है

....

हिन्दु उत्तराधिकार **अधिनियम 1956** की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते है। इस प्रकरण में मृतक बिमला रानी की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त उत्तराधिकारियों रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था। **इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी नं. 27230/2009** अनवान् एस. **सुहैना बानो** वगै. **बनाम इण्डियन बैंक, एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010 अवलोकनीय** है। उक्त पैटीशन संख्या 27230/2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी/गारंटर के वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 27.12.2023 अप्रार्थीगण मै. डिप्टी सिंह ईंट उद्योग जरिये पोर्टनर अमृतपाल सिंह, शिवराज सिंह, सतनाम सिंह एवं जमानती प्रेम कुमार, अश्वनी कुमार, अशोक कुमार, ऋषि आहुजा एवं जमानती मृतक बिमला रानी को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थी ऋणी मृतक बिमला रानी के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही उन्हें धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी किया गया गया है** जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002** के **RULE 3** के तहत मान्य नहीं है। **इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी मृतक बिमला रानी के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार न बनाकर एवं धारा 13(2) के नोटिस जारी न कर तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों की अवहेलना की है**

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा—13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण, और माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का** धारा 14 का प्रार्थना पत्र **स्वीकार नहीं किया जा सकता।** प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपठित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी के **समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.20[illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:53:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर